कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 1619 /15–1 दिनांक, झांसी, नवम्बर, 21 2016

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0 झांसी।

विषय :– जनपद झांसी में झांसी–बबीना–ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–26 के कि0मी0 संख्या–03 से 11 तक झांसी–हंसारी से खैलार की सीमा तक दोनो पटरी पर चौड़ीकरण/चार लेन में प्रभावित 14.80हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 945 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तमन मंत्रालय, लखनऊ का पत्र संख्या–8बी/यू0पी0/06/86/2018/एफ0सी0/361, दिनांक 17.10.2019 एवं अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण (भवन विंग) लो0नि0वि0, झांसी का पत्र संख्या–1263/वृक्ष/अनुमति/19, दिनांक 18.11.2019।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा अपने संदर्भित पत्र से परीक्षण कर प्रकरण में विचारोपरान्त लगाई गयी आपत्तियों व कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर निर्धारित प्रारूप में 04 प्रतियों में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु संस्तुति के साथ प्रेषित है।

Obseration	Obserations of Goi	Reply
(a)	A Proposal of a lane widening of NH-25 Jhansi-Lalitpur road-Babina road km 0 to 11.00 & felling of 1800 trees was submitted earlier vide online proposal no. 24768/2017 involving 20.35 ha. of Forest land. Now the fresh proposal submitted by the State Government vide online proposal no. 39827/2019 relates to 4 lane widening of Same road from km. to 11.00 involving 14.8 ha. & felling of 945 Trees. it is not clarified whether the earlier proposal stands withdrawn by the State Government or not?	पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव संख्या–24768/2017 द्वारा 20.35 हे0 भूमि पर अनापत्ति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें सेना की भूमि भी सम्मिलित थी, लेकिन सेना द्वारा उक्त कि0मी0 (0–3) पर अनापत्ति निर्गत न हो पाने के कारण प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा ऑन लाईन विड्रा कर लिया गया था। तत्पश्चात संशोधित प्रस्ताव बनाकर ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–39827/2019 द्वारा 8 कि0मी0 के लिये 14.8 हे0 भूमि हेतु प्रेषित किया गया है।
B(i)	It is also not clarified :- why the original proposal has been modified or why a new proposal has been submitted.	परियोजना में मार्ग की कुल लम्बाई 1 से 11 (कुल 11 कि0मी0) प्रस्तावित थी, जिसमें सेना के आधिपत्य वाले 03 कि0मी0 (0–3 कि0मी0) भाग को अलग करते हुये सिर्फ 08 कि0मी0 की लम्बाई का नवीन प्रस्ताव अनापत्ति हेतु प्रेषित किया गया है।
(ii)	What will be the outcome if NOC of Ministry of Defence is not obtained/issued and what is the alternative available for the user agency to complete the project and how does it affect the viability of the project.	यदि मिनिष्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा अनापत्ति निर्गत नहीं हो पाती है, तो ऐसी दशा में 4 लेन में मीडियन की चौड़ाई को कम करके परियोजना को पूर्ण किया जायेगा।

	The Forest offence has been compounded after taking compensation but calculation of Penal NPV payable as per recent guidelines of the Ministry dated 29.01.2019 is not correct as not been calculated for each year of violation. This needs rectification.	भारत सरकार, नई दिल्ली की गाईड लाईन एफ0एन0–11–42/2017/एफ0सी0, दिनांक 29.01.2019 में उल्लिखित बिन्दु बी, i, ii, iii & iv के सम्बन्ध में आख्या निम्नानुसार है :– (i). 1–प्रस्तावित वन भूमि – 1.02 हे0 2–अवधि – 3 वर्ष (36 माह) 3–एन0पी0वी0 की दर – 6.26 लाख धनराशि– 3X1.02X6.26=19.1556 उक्त धनराशि का 12% ब्याज 2017-18– 1X6.3852X12%=0.766 2018-19– 2X6.3852X12%=1.640 2019-20– 3X6.3852X12%=2.7046 **4.7046** कुल दण्डात्मक राशि =19.1556+4.7046=23.8602 (ii).Bring public utility project of government = 23.8602X20% = 4.77204 = 4.77 lacs अतः देय कुल दण्डात्मक धनराशि 477204/– (चार लाख सतत्तर हजार दो सौ चार रू0 मात्र) (iii).When User agency started the work it was stopped immediately by the Range officer jhansi and legal action was taken. (iv).Range case no-30/2016-17 issued against user agency and notice issued to Shri Nirdosh Kumar Suman, Executive, Nirman Khand (Bhavan wing) PWD, Jhansi.
D.	In Area calculation sheet, uniform width of proposed widening has been taken. It is not clear whether extra width is required at cuiverts, bridges etc. and to what extent requirement of Forest area increases in that case.	एरिया का क्रांस सेक्शन मैप लगा दिया गया है और अतिरिक्त चौड़ाई की कोई मांग नहीं की गई है। कोई भी अतिरिक्त निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। पुल एवं पुलिया के लिये उपलब्ध भूमि में ही निर्माण कार्य किया जायेगा।

संलग्नक– अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण (भवन विंग) लो0नि0वि0, झांसी का पत्र संख्या–1263/वृक्ष/अनुमति/19, दिनांक 18.11.2019।

भवदीय

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या 1619 /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–844/11C-FP/UP/Road/39827, दिनांक 25.10.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण (भवन विंग) लो0नि0वि0, झांसी को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(वी0के0 मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

o/c